न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या- 52/2025
सरकार बनाम सितारा आदि।

आरोप

मैं दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान, इकबाल पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँः-

01. यह कि दिनांक 29.05.2024 को अजरा के विवाह के उपरांत व दिनांक 11.01.2025 से पूर्व समय अदम तहरीर, स्थान-ग्राम अगवाल अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी की भतीजी को दहेज की खातिर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और आप अभियुक्तगण ने उसके पेट में लात घूसे व डन्डों से , लोहे की रॉड से पिटाई की जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया है, जो बी०एन०एस० की **धारा 80(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02. यह कि आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादी की भतीजी अजरा के साथ लात घूसो,डन्डों व लोहे की रॉड से मारपीट कर शारीरिक उपहति कारित की गयी तथा दहेज की मांग करते हुए क्रूरता की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा बी०एन०एस० की **धारा 85** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी की भतीजी अजरा से दहेज की मांग की गई। इस प्रकार आपने **3/4 DP Act** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 19.07.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 19.07.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

Steno- Mohd Afsan

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या- 52/2025
राज्य-----------बनाम--------- सितारा आदि।

मु०अ०सं०: 13 सन् 2025
धारा : 85, 80(2), बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट।
थाना : खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान, इकबाल जेल से उपस्थित आये।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 85, 80(2), बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान, इकबाल पर जुर्म अन्तर्गत धारा 85, 80(2), बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.08.2025 को पेश हो। अभियोजन प्रस्तावित साक्षियों की सूची पेश करें।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 19.07.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.07.19 17:49:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court